भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3778
उत्तर देने की तारीख: 18.12.2024

अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जनजातियों को योजनाओं के लाभ

3778. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्पसंख्यकों की धर्म और राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति के लोग धर्मांतरण के बाद उठा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कर अवैध रूप से दोहरा लाभ उठाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>**उत्तर**</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) भारत के महापंजीयक कार्यालय (आरजीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनगणना में "अल्पसंख्यक" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालाँकि, भारत के लोगों द्वारा बताए गए सभी धर्मों के आंकड़ों को प्रत्येक जनगणना में एकत्र, सारणीबद्ध और प्रकाशित किया जाता है। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और धर्म के आधार पर राज्यवार जनसंख्या अनुबंध पर है।

(ख) से (घ) अल्पसंख्यकों के लिए सभी 3 छात्रवृत्ति योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें एनएसपी पर ऑनबोर्ड की गई समग्र योजनाओं के अंतर्गत आवेदक के डी-डुप्लीकेशन का प्रावधान है। इसके अलावा, 2024-25 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) का प्रावधान भी शुरू किया गया है, जो विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बीच डुप्लिकेट लाभार्थियों की संभावनाओं को और कम करेगा।

******

दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3778 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और धर्मवार अल्पसंख्यक जनसंख्या						
क्र.सं.	राज्य	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन
1	जम्मू और कश्मीर	8567485	35631	234848	112584	2490
2	हिमाचल प्रदेश	149881	12646	79896	78659	1805
3	पंजाब	535489	348230	16004754	33237	45040
4	चंडीगढ़	51447	8720	138329	1160	1960
5	उत्तराखंड	1406825	37781	236340	14926	9183
6	हरियाणा	1781342	50353	1243752	7514	52613
7	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2158684	146093	570581	18449	166231
8	राजस्थान	6215377	96430	872930	12185	622023
9	उत्तर प्रदेश	38483967	356448	643500	206285	213267
10	बिहार	17557809	129247	23779	25453	18914
11	सिक्किम	9867	60522	1868	167216	314
12	अरुणाचल प्रदेश	27045	418732	3287	162815	771
13	नागालैंड	48963	1739651	1890	6759	2655
14	मणिपुर	239836	1179043	1527	7084	1692
15	मिजोरम	14832	956331	286	93411	376
16	त्रिपुरा	316042	159882	1070	125385	860
17	मेघालय	130399	2213027	3045	9864	627
18	असम	10679345	1165867	20672	54993	25949
19	पश्चिम बंगाल	24654825	658618	63523	282898	60141
20	झारखंड	4793994	1418608	71422	8956	14974
21	ओडिशा	911670	1161708	21991	13852	9420
22	छत्तीसगढ़	514998	490542	70036	70467	61510
23	मध्य प्रदेश	4774695	213282	151412	216052	567028
24	गुजरात	5846761	316178	58246	30483	579654
25	दमन और दीव	19277	2820	172	217	287
26	दादरा एवं नगर हवेली	12922	5113	217	634	1186
27	महाराष्ट्र	12971152	1080073	223247	6531200	1400349
28	आंध्र प्रदेश	8082412	1129784	40244	36692	53849
29	कर्नाटक	7893065	1142647	28773	95710	440280
30	गोवा	121564	366130	1473	1095	1109
31	लक्षद्वीप	62268	317	8	10	11
32	केरल	8873472	6141269	3814	4752	4489
33	तमिलनाडु	4229479	4418331	14601	11186	89265
34	पुदुचेरी	75556	78550	297	451	1400
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32413	80984	1286	338	31
36	तेलंगाना**					

** जनगणना 2011 के बाद गठित राज्य

नोट: पारसी जनसंख्या के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

******